

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खिवान्दी द्वारा जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत की आवेसीय भूमि में जायी नहीं कर गैर मुमकिन विवायक खसरा नम्बर 827/3 एवं 827/4 किस्म बगरानी सोयम में जायी किए गए हैं। जिसके पुराने खसरा नम्बर 563 मी. एवं 570 मी. थे, जिनकी मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति इस पत्रावली के संलग्न है। उससे स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जैर आवेसी कमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक 01.06.2017 से उक्त मूल खसरा नम्बर 827 के रकबा 14.2700 हैक्टयर में से रकबा 2.00 हैक्टयर किस्म बगरानी खिवान्दी के नाम अधिज कर सेट अपाई करते हुए ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम आवेसी विस्तार हेतु भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1995 दिनांक 06.07.2017 स्वीकृत होकर नए खसरा नम्बर 827/3 रकबा 2.00 है. ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम किस्म गै.म. आबादी दर्ज कर की गई तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने ही जैर आवेसी कमांक राजस्व/2018/406 दिनांक 13.07.2018 के मूल खसरा नम्बर 827 के शेष रहे रकबा 12.2700 है. में से 4.00 है. बगरानी सोयम भूमि का किस्म



यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 2 दिनांक 24.08.1986 की धारा में जायी पट्टा संख्या 18 दिनांक 30.09.1986 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जैर नोटिस व ग्राम पंचायत खिवान्दी का रेकार्ड तलब किया गया। बहस समयपक्ष सुनी गई।

दिनांक :- 08.07.2019

—: नि प य :-

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज श्रीनाथ उपस्थित
 प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना व श्री नौरतन चौहान उपस्थित
 उपस्थित ::

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

सुमेरपुर जिला पाली
 देवासी निवासी खिवान्दी तहसील
 रुधाराम पुत्र श्री धमाराम जाति
 ग्राम पंचायत खिवान्दी जैर सरपंच
 धीराराम पुत्र समा जी जाति माथी
 निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर
 जिला पाली
 अग्रार्थीनाम :-

पंचायत निगरानी :: 14/2019 ::
 प्रार्थी :-
 बनाम
 अधिवक्ता :-
 न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
 पीठासीन अधिकारी: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

अधिवक्ता उमयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जैर निगरानी पट्टा 1986 में जारी कर दिया गया था, जो पूर्व खसरा नम्बर 573 सी. एवं 570 सी. की आरजी में जारी किए गए हैं। जिसका मिलान खसरा अगुसरा नए खसरा नम्बर 827 है तथा खसरा नम्बर 827 की भीस को किया गया।

अधिवक्ता अग्रणी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा निरस्त कर तदनकूप विक्रय विलेख पुनः जारी किए जाने बाबत आदेश पारित कराने का निवेदन बनाकर तथा आदेश में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए एक प्रकिया का निर्धारण द्वारा आबादी हेतु जो 6 बीघा भीस सेट अपाट कर आरक्षित की गई है। उसका प्लान सहमत है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा निगरानी में उल्लेखित दोनों आदेशों के कवाकप प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रश्नित किए जाने हेतु अधिवक्ता अग्रणी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा निरस्त

अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमाया जावे।
गई है। भीस का प्लान बनाकर एक प्रकिया निर्धारित कर पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित निर्देशों की पालना नहीं की काइतकरीं हितकरीं व अन्य जकरतमद व्यक्तियों को रियायती दर पर पट्टा देने के को 30 प्रतिशत भीस के निःशुल्क आवासीय पट्टे एवं 70 प्रतिशत पट्टा भीस भूमिहीन निर्धारित मापदण्ड अगुसरा बी.पी.एल. आवासहीन व अनु. जाती जनजाति के व्यक्तियों इस्तिहार किस दिनांक को चरपा किया गया, यह भी उल्लेखित नहीं है। भीस को उसका अंकन नहीं है तथा न ही चरपा किए जाने के स्थान का अंकन है। आपत्ति किया गया। एक माह का आपत्ति इस्तिहार किस दिनांक को किस नम्बर से जारी किया, को जिसमें प्रिषित भिसलों में से कई में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं ग्राम पंचायत खिवान्दी द्वारा उक्त खसरे में ही कुल 17 पत्रावलियां निगरानी की प्रस्तुत निगरानी पट्टा विधी सम्मत जारी नहीं किए जाने से खारिज फरमाया जावे। इसी प्रकार कर दिया, जिसका अधिकार ग्राम पंचायत खिवान्दी को कतई नहीं था, इस प्रकार जैर द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा नजूल आबादी भीस में जारी नहीं कर कृषि भीस में जारी 18 दिनांक 30.09.1986 को जारी कर दिया, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि ग्राम पंचायत 57/1985-86 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.08.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या आदेशों के अगुसरा में की गई। इससे पूर्व ही जैर निगरानी भिसल संख्या की गई। उक्त भीस राजस्व रेकॉर्ड में आबादी दर्ज सन 2017 व 2018 में उपरोक्त भूमिकन आबादी दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड में ग्राम पंचायत खिवादी के नाम अमल दरमद 27.07.2018 स्वीकृत कर नये खसरा नम्बर 827/4 रकबा 4.00 है, की किस्म गैर हेतु भीस निःशुल्क आरक्षित की जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 2088 दिनांक बारानी खारिज कर सेट अपाट करते हुए, ग्राम पंचायत खिवान्दी के नाम आबादी विस्तार



जिला कलेक्टर, पानी
(दिनेश चन्द जैन)

सूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में के साथ ग्राम पंचायत खिवान्दी को रेकॉर्ड प्रेषित किया जावे।
पालना सुनिश्चित करते हुए पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जावें। निर्णय की प्रति निर्देशों की पालना करते हुए तथा पंचायत नियमों के तहत विहित प्रक्रिया की अधरक्षः खसरा नम्बर 827/3 एवं 827/4 का एक प्लान बनाकर आवंटन आदेश में विहित एवं 406 दिनांक 13.07.2018 के सेट अपार्ट कर आबादी हेतु कुल 6 है. आरक्षित आराजी उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक 01.06.2017 किया जाकर इस आशय से ग्राम पंचायत खिवान्दी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दिनांक 24.08.1986 की पालना में जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 30.09.1986 को निरस्त से स्वीकार की जाकर जैर निगरानी भिखल संख्या 57/1985-86 प्रस्ताव संख्या 2 परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी उभयपक्ष की सहमति से आंशिक रूप यथावत रखा जाना न्यायविरत नहीं है।



गया तथा अपनी मनमर्जी से 15 X 30 कुल 450 वर्गफीट के पट्टे जारी कर दिए, जिन्हें आदेशों के जरिए आबादी हेतु सेट अपार्ट की गई, उसका नक्शा प्लान भी नहीं बनाया गया, यहां तक कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के आदेशानुसार जो 6 है. भूमि दोनों है, न ही दो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं, न ही नक्शा बनाया जाई करने की दिनांक, क्रमांक तथा चरपा किए जाने का स्थान व दिनांक अंकित नहीं पंचायत नियमों के अनुरूप विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। आपत्ति इस्तिहार पर प्रयोजनार्थ जारी किए जाने के आदेश दिए गए, उनकी भी पालना नहीं की गई है, न ही काइलकारों, हिलफकारों व अन्य जकरतमंद व्यक्तियों को रियायती दर पर आवासीय जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे जारी करने एवं 70 प्रतिशत पट्टे भूमिहीन खिवान्दी को 30 प्रतिशत भूमि के निःशुल्क बी.पी.एल., आवासहीन व अनुसूचित यथावत रखा जाना विधी समत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर ने ग्राम पंचायत पट्टा जारी किया गया, वह स्पष्टतया कृषि भूमि में ही जारी किया गया है। जिसे पट्टा जारी करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जो जैर निगरानी बरानी प्रथम सरकारी भूमि दर्ज थी तथा ग्राम पंचायत को नजूल आबादी भूमि में ही थी। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जैर निगरानी आराजी 2017 से पूर्व तक सिवाय चक सरकारी सिवाय चक बरानी प्रथम भूमि से सेट अपार्ट कर आबादी हेतु आरक्षित की गई 01.06.2017 एवं 406 दिनांक 13.07.2018 के जरिए क्रमशः 2 हैक्टयर एवं 4 हैक्टयर उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा जारी किए आदेश क्रमांक राजस्व/2017/2733 दिनांक